परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांक-2831 एमटी/2019-147एमटी/91(I) दिनांक-12 सितम्बर, 2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय-परिवहन निगम की अनुबन्धित बसों की भौतिक दशा में सुधार एवं दुर्घटनाओं की रोक-थाम के सम्बन्ध में।

परिवहन निगम की अनुबन्धित बसों की खराब भौतिक दशा के बारे में प्रायः समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हो रहे है तथा इस सम्बन्ध में परिवाद भी प्राप्त हो रहे हैं।

परिवहन निगम की समस्त बसों की भौतिक दशा सुधार किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा पत्रांक-2165एमटी/2019-147एमटी/91(I)दिनांक-18 जुलाई, 2019, द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त परिपत्र के अनुसार आपसे अपेक्षा की गयी थी कि समस्त अनुबन्धित बसों का 31 बिन्दुओं का सर्वे कराकर उनमें पायी गयी कमियों के बारे में दिनांक-01.08.2019 तक सूचना प्रेषित करेंगे एवं अनुबन्धित बसों में पायी गयी कमियों को 07 दिनों में ठीक कराने हेतु वाहन स्वामियों को निर्देश आपके स्तर से निर्गत किये जाने आपेक्षित थे। पत्र संख्या-2685एमटी/2019-147एमटी/91(I)दिनांक-28 अगस्त, 2019 के द्वारा पुनः आपको उक्त हेतु दिनांक-01.09.2019 तक कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे जो कि अभी तक आपेक्षित है।

परिवहन निगम की अनुबन्धित बसों में स्पीड लिमिट डिवाइस कार्यरत होने के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या-2765एमटी/2019-147एमटी/91(I) दिनांक-04 सितम्बर, 2019 द्वारा दिनांक-05.09.2019 तक सूचना माँगी गयी थी जो कि अभी तक आपेक्षित है।

यह बहुत ही खेदजनक है कि आप द्वारा मुख्यालय के निर्देशों की लगातार अवहेलना की जा रही है। जिसके कारण निगम की बसों में आपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहे है। आपको पुनः निम्नवत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है-

1. यदि आपके द्वारा उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की गयी है तो अनुबन्धित बसों में पायी गयी कमियों के बारे में सूचना निम्न प्रारूप में विलम्बतः दिनांक-16.09.2019 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचा0) को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

तालिका- अनुबन्धित बसों हेतु

डिपो का नाम	कुल बसों की संख्या	बसों की संख्या जिनकी सीटों की दशा खराब है	बसों की संख्या जिनकी बाडी की दशा खराब है	बसों की संख्या जिनकी पेन्ट की दशा खराब है	बसों की संख्या जिनमें शीशे कम है।	बसों की संख्या जिनकी फर्श की दशा खराब है	बसों की संख्या जिनमें एस0एल0डी0 कार्यरत नहीं है।	बसों की संख्या जिनमें वी0टी0एस0 कार्यरत नहीं है।	अन्य कमियों वाली बसों की संख्या	वाहन स्वामियों को निर्गत नोटिस की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

जिन क्षेत्रों द्वारा अनुबन्धित बसों का सर्वे नहीं कराया गया है उनके क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक अपना स्पष्टीकरण प्रेषित करें तथा संलग्न प्रोफार्मे के अनुसार अनुबन्धित बसों का भौतिक निरीक्षण निर्धारित 31 बिन्दुओं हेतु करवाना सुनिश्चित करें। यह कार्यवाही विलम्बतः 23 सितम्बर, 2019 तक पूर्ण हो जानी है। यह रिपोर्ट दिनांक-22.09.2019 को मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0) व मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा0) को प्रेषित की जायेगी।

2. पत्रांक-2165एमटी/2019-147एमटी/91(I) दिनांक-18 जुलाई, 2019, के अनुपालन में कराये गये सर्वे में जिन बसों में कमियॉ पायी गयी थी, उनका पुनः सर्वे करा लिया जाये एवं वाहन स्वामियों को अधिकतम एक माह का समय बसों के मरम्मत हेतु देते हुए इस आशय का नोटिस, बस के फोटोग्राफ के साथ, नियमानुसार निर्गत किया जाये यदि निर्धारित समयावधि में बस की कमियों को दूर कराकर उसे निरीक्षण हेतु क्षेत्र के सेवा प्रबन्धक के समक्ष बस को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बस का अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा। यह कार्यवाही निम्न समय सारणी के अनुसार सम्पादित की जानी है:-

Downloaded from www.upsrtc.com

क्षेत्र का नाम	पुनः सर्वे कराने की अन्तिम तिथि	वाहन स्वामी को नोटिस निर्गत करने की अन्तिम तिथि	वाहन के निरीक्षण की अन्तिम तिथि
आजमगढ़, चित्रकूट, देवीपाटन, अयोध्या, झाँसी, कानपुर, इटावा,	12.09.2019	13.09.2019	13.10.2019
आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी,	16.09.2019	17.09.2019	17.10.2019
सहारनपुर, बरेली	19.09.2019	21.09.2019	21.10.2019
गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदोई, गोरखपुर	21.09.2019	24.09.2019	24.10.2019 .
मेरठ, लखनऊ	23.09.2019	26.09.2019	26.10.2019

वाहन स्वामी को कार्य कराने के उपरान्त निरीक्षण हेतु नोटिस में निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि को यदि वाहन स्वामी बस को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका अनुबन्ध समाप्त करने की नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर सूचना विलम्बतः निरीक्षण के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के 02 दिवस पश्चात् मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) को उपलब्ध करा दी जाये एवं अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराने हेतु मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचा0) को साप्ताहिक प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का समय से अनुपालन न किया जाना, अनुशासनहीनता मानते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचा0), निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. समस्त, नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो) उ0प्र0 परिवहन निगम।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com